

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 795]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2015/अग्रहायण 26, 1937

No. 795]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2015/AGRAHAYANA 26, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 982(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पित विज्ञान सर्वेक्षण (वर्ग—III) भर्ती नियम, 1964, को जहाँ तक कि उनका संबंध सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक और सूचीकार के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पित विज्ञान सर्वेक्षण में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (पुस्तकालय और सूचना सहायक) भर्ती नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या, उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- **4. निरर्हता**—वह व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5311 GI/2015 (1)

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	15* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड— 2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्षों से अनिधक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेषों के अनुसार सरकरी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:— आयु—सीमा अवधरित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री । (ii) केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / स्वायत या कानूनी संगठन / पब्लिक सेक्टर उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्षों का वृतिक अनुभव । वांछनीय : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा । टिप्पण 1:— अईताएं, अन्यथा मुअईत अभ्यर्थियों की दषा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2:— अनुभव संबंधी अहर्ता (अईताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 1:— अनुभव संबंधी अहर्ता (अईताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब षिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तयों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन व्यक्तियों के लिए विहित आयु अवधि, यदि द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां

और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	कोई हो	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(8) लागू नहीं होता	(9) दो वर्ष	(10) सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी (क)(i) जो नियमित आधार कर सदृष पद धारण किए हुए हो; (ii) वेतन बैंड – 1; 5200–20200 रू + ग्रेड वेतन 2800 रु में के पद पर छः वर्षों की नियमित सेवा की हो (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे	(11) लागू नहीं होता
		भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार	करने के लिए):	
(i) निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण	– अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक
(ii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण	– सदस्य	नहीं है।
(iii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण	– सदस्य	

[फा. सं. 01/20/2011—सीएसबी] डॉ. आर. दलवानी, वैज्ञानिक 'जी'/सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2015

G.S.R. 982(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Class III) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the posts of Assistant Librarian, Library Assistant and Cataloguer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Botanical Survey of India (Library and Information Assistant) Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.-** The number of post, its classification and the pay band and grade pay orpay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.-** No person, –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/ Pay	Whether selection post	Age limit for direct recruits.
post.	post.		Scale.	or non	rectuits.
			Scarc.	selection post.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and	15* (2015)	General Central	Pay Band-2,	Not applicable	Not exceeding 30 years
Information	*Subject to	Service, Group	Rs. 9300-34800	T	(Relaxable for
Assistant	variation	'B', Non-	Grade Pay Rs.		Government servants upto
	dependent on	Gazetted, Non-	4200		five years in accordance
	workload.	Ministerial.			with the instructions or
					orders issued by the
					Central Government.)
					Note 1: The crucial date
					for determining the age
					limit shall be the closing
					date for receipt of
					applications from
					candidates in India (and
					not the closing date
					prescribed for those in
					assam Meghalaya, Arunachal Preadesh,
					Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Ladakh Division
					of Jammu and Kashmir
					State, Lahaul and Spiti
					District and Pangi Sub
					Division of Chamba
					District of Himachal
					Pradesh, Andaman and
					Nicober Islands of
					Lakshadweep).

Educational and other qual	fications Whether	age and	Period of	Method of recruitment
required for direct recruits.	Educational	qualifications	probation,if	whether by direct recruitment
	prescribed	for direct	any.	or by promotion or by
	recruits wi	ll apply in the		deputation/absorption
	case of pro	notees.		and percentage of the
				vacancies to be filled
				by various methods.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University/Institute; (ii) Two years' professional experience in a Library under Central/ State Government/ Autonomous or Statutory organisation/ Public Sector Undertaking/ University or recognised research or educational Institution. Desirable: Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified for reasons to be recorded.	Not applicable	two years	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Government- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years' regular service in the posts in the pay band-1 of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800;
Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group B Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): (i) Director, Botanical Survey of India – Chairman. (ii) Head of Office, Botanical Survey of India – Member. (iii) Head of Office, Zoological Survey of India – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. 01/20/2011-CSB]

Dr. R DALWANI, Scientist 'G'Advisor